UPET110001672026

न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा

उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा

दाण्डिकवाद संख्या–3318/2021

राज्य––––बनाम–––––रामसिंह आदि

–––प्रति––––

1–रामसिंह पुत्र कल्लू सिंह
2–सुवदेश पुत्र रामसिंह
3–जितेन्द्र कुमार पुत्र रामसिंह
समस्त निवासीगण–ग्राम विचपुरी थाना नि०कलां जिला एटा।

–––अभियुक्तगण––––

अपराध सं०–193/2019
अ० धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा०
थाना–नि०कलां जिला एटा।

–निर्णय–

अभियुक्तगण रामसिंह, सुवदेश, जितेन्द्र कुमार के विरूद्व थाना नि०कलां जिला एटा के द्वारा अपराध संख्या–193/2019 अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० के प्रकरण में विचारण हेतु आरोपपत्र इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 27–05–2019 को समय 09:30 बजे स्थान क्षेत्र नि०कलां जिला एटा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के भाई कोशल व चाचा को लाठी डण्डो से मारपीटा व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर साशय अपमानित किया।

वादी मुकदमा के तहरीर के आधार पर थाना हाजा अ०स० संख्या–193/2019 धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा०, थाना नि०कलां जिला एटा के के मामले में अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

विवेचक द्वारा दौरान विवेचना गवाह का बयान अंकित किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। विवेचना पूर्ण करते हुए विवेचक द्वारा अ०स०–193/2019 अंतर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० में अभियुक्तगण रामसिंह, सुवदेश, जितेन्द्र कुमार के विरूद्व आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया और परीक्षण आरम्भ किया गया।

अभियुक्तगण को विचारण हेतु न्यायालय द्वारा आहूत किया गया, आहूत किये जाने पर अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये तथा उसने अपनी जमानत करायी। उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। तदोपरांत दिनांक 28–07–2022 को अभियुक्तगण रामसिंह, सुवदेश, जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार करते हुए विचारण की मांग की। अतः अभियुक्तगण का उक्त आरोपों के सन्दर्भ में न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया।

अभियुक्तगण का दिनाक 25–03–2026 को बयान अंतर्गत धारा–313 द०स० अकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू–01, पी०डब्लू–02** व **पी०डब्लू–03** के साक्ष्य के संबंध में गलत है जिरह में सच्चाई गवाह ने बतायी है। मुकदमा लोगों के उकसावे में आकर चलना बताया गया है व सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित होता है। तदुनसार प्रस्तुत प्रकरण में उसे आरोपित आरोप से दोषसिद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। तदनुसार अभियुक्तगण को आरोपित आरोप के अंतर्गत दोषसिद्ध करने का अनुरोध किया गया है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह केस लेकर आया है कि क्या दिनांक 27–05–2019 को समय 10:00 बजे स्थान बहद ग्राम विचपुरी में स्थित मकान वादी थाना क्षेत्र नि०कलां जिला एटा में अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा सुमदेश के रिहायशी मकान में अनाधिकृत प्रवेश करते हुए हाथ में लाठी डण्डों व फरसा व फावडा व धारदार हथियार से मारपीट करते हुए वादी मुकदमा की अस्थि भंग की व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर साशय अपमानित किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा इसी प्रयोजनार्थ की जायेगी।

<u>–समीक्षा एवं निष्कर्ष–</u>

अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने उक्त कथानकों को साबित करने हेतु साक्षी **पी०डब्लू–01** के रूप में जितेन्द्र व **पी०डब्लू–02** कोशल **पी०डब्लू–03** मुकेश को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य कोई मौखिक एवं दस्तावेजीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

साक्षी **पी०डब्लू–01** जितेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27–05–2019 की है। समय करीब सुबह साढे नो बजे का समय था। हमारे गंव के रामसिह, सुमधेश जितेन्द्र कुमार, मानवेन्द्र मेरे घर के अंदर घुस आये और मेरे पिता फतेहपालसिंह के साथ गाली गलौज करने लगे, जब मेरे भाई को कौशल ने ऐसा करने से मना किया तो अभियुक्तगण मेरे भाई के साथ मारपीट करने लगे। सबके शोर मचाने पर चाचा मुकेश कुमार व गांव के लोग आ गये। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देकर चले गये। अभियुक्तगणों के मारने से कौशल व मुकेश को चोटें आयी थी। इन सबकी डाक्टरी जिला अस्पताल में हुई थी। मैंने विकास कुमार से घटना के संबंध में एक प्रार्थनापत्र लिखवा कर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। शामिल पत्रावली मूल तहरीर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर पर्दश क 1 डाला गया दरोगाजी ने मेरा बयान लिया था। घटना का निरीक्षण करने आये थे। इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि अभियुक्तगणों से हमारे परिवार में कुछ कहा सुनी हो रही थी उसी कहा सुनी के दौरान गांव के कुछ लोग इक्टठा हो गये थे। उसी भीड में भगदड के कारण गिरने से मुकेश व कोशल को चोटे आयी थी। दरोगाजी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी न ही भद्दी भद्दी गालिया दी थी ना मारपीट की न ही जान से मारने की धमकी दी।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह को 161 द०प्र०स० का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था। कैसे लिखा गया कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 27–05–2019 को सुबह साढे नो बजे अभियुक्तगण रामसिह, सुमदेश, जितेन्द्र, मानवेन्द्र मेरे घर में घुसकर मेरे चाचा मुकेश व भाई कौशल को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देकर चुटैल किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे गांव के होने व उन्हें बचाने के लिए सही बात नहीं बात रहा हू। हम दोनों में सुलह हो गयी है किंतु यह कहना गलत है कि सुलह करने के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ।

साक्षी पी०डब्लू 2 कौशल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27 05.2019 समय साढे नो बजे सुबह गांव के सुवदेश व जितेन्द्र व रामसिंह रास्ते के विवाद को लेकर मेरे घर आकर गाली गलौज कर मारपीट कर चोट नहीं पहुंचाई न ही जान से मारने की धमकी पहुंचायी। गिरने से मुझे चोटे आयी थी जिसका मेडीकल कराया था। दरोगाजी ने बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह को उसका बयान धारा–161 द०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवार ने इन्कार किया और कहा कि मैंने दरोगा जी को इस तरह को कोई बयान नहीं दिया था, यदि लिख लिया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनाक 27.05.2019 को मिलकर मारपीट कर चोटे पहुंचायी थी और गाली व जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी के विरुद्ध क्रोस केस इसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। यह कहना सही है कि क्रास केस में फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने के कारण सही बात नहीं बता रहा हूं।

साक्षी पी०डब्लू 3 मुकेश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.05. 2019 समय साढे नो बजे सुबह गांव के सुवदेश व जितेन्द्र व रामसिह रास्ते के विवाद को लेकर मेरे घर आकर गाली गलौज कर मारपीट कर चोटे नहीं पहुंचाई न ही जान से मारने की धमकी पहुंचायी। गिरने से मुझे चोटे आयी थी जिसका मेडीकल व एक्स रे कराया था। दरोगा जी ने बयान नहीं लिया था। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है।

उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है किगवाह को उसका बयान धारा–161 द०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवार ने इन्कार किया और कहा कि मैंने दरोगा जी को इस तरह को कोई बयान नहीं दिया था, यदि लिख लिया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 27.05.2019 को मिलकर मारपीट कर चोटे पहुंचायी थी और गाली व जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना सही है कि मेरे पिताजी के विरुद्ध क्रोस केस इसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। यह कहना सही है कि कास कैसमे फैसला हो गया है। यह कहना गलत है कि फैसला हो जाने के कारण सही बात नहीं बता रहा हूं।

अभियोजन पक्षी की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन कथानक पर बल देते हुए कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा घटना कारित की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट इसी संबंध में लिखायी गयी है। आरोपपत्र से घटना का घटित होना प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रतिरक्षा में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में वास्तविकता यह है कि उपरोक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गयी है। रजिश में यह मुकदमा लिखाया गया है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। गवाह/वादी मुकदमा द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन को यह साबित करना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथाकथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी।

इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित कराने के लिए उपरोक्त साक्षियों को परीक्षित कराया गया। साक्षी पी०डब्लू–01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है। इस साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि गवाह को 161 द०प्र०स० का बयान पढ़कर सुनाया व समझाया गया। गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था। कैसे लिखा गया कारण नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि दिनांक 27–05–2019 को सुबह साढे नो बजे अभियुक्तगण रामसिह, सुमदेश, जितेन्द्र, मानवेन्द्र मेरे घर में घुसकर मेरे चाचा मुकेश व भाई कौशल को भद्दी भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देकर चुटैल किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण मेरे गांव के होने व उन्हें बचाने के लिए सही बात नहीं बात रहा हू। हम दोनों में सुलह हो गयी है किंतु यह कहना गलत है कि सुलह करने

के कारण झूठी गवाही दे रहा हूँ और साक्षी पी०डब्लू–02, 03 को भी मुख्य परीक्षा के स्तर पर ही पक्षद्रोही घोषित किया जा चुका है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है, बल्कि घटना के विपरीत एवं विरोधाभाषी बयान किया है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक आपराधिक आरोप साबित नहीं होता है, तब तक अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है। अभियोजन को प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त के ऊपर आरोपित अपराध युक्तियुक्त रूप से सदंहे से परे साबित करना अनिवार्य होता है। यह भार अभियुक्त पर नहीं होता है कि वे अपनी निर्दोषिता साबित करें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था है कि **Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.–Reference No.9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court)**–Criminal Law Jurisprudence Settled law Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is taht it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot–free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused– appellant seems to be largely built on suspicion only. The element of doubt very much persists. Therefore, on over all consideration of the evidence and attending circumstances, we would allow the appeal.

इस प्रकार उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित करना नहीं बताया है, जिससे इस साक्षी के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

जहां तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय साक्ष्य का प्रश्न है तो उनके निष्पादन की सत्यता को औपचारिक रूप से अभियुक्त की ओर से धारा–294 द०प्र०स० के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और इन प्रलेखों के निष्पादन पर उनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है किन्तु प्रस्तुत मामले में मौखिक एवं तात्विक साक्ष्य के अभाव में ये प्रलेख भी अभियोजन कथन का सम्पोषण नहीं करते हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रस्तुत किये गये तथ्यों के साक्षीगण से साबित करना होता है। मात्र अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार कर लेने से अभियुक्तगण को दोषी नहीं माना जा सकता है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को साक्ष्य के अभाव में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण रामसिंह, सुवदेश, जितेन्द्र कुमार को धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० के प्रकरण में संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

<u>–आदेश–</u>

अभियुक्तगण **रामसिंह, सुवदेश, जितेन्द्र कुमार को दाण्डिकवाद संख्या–3318/2021, मु०अ०सं०–193/2019, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा०दं०सा० थाना नि०कलां, जिला एटा** के मामले में उक्त आरोप में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण उक्त प्रकरण में जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण, प्रत्येक धारा 437ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में मु०–20,000/–(बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का एक–एक प्रतिभू अन्दर सप्ताह दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>दिनॉकः **26.03.2026**</u>

(विकास कुमार वर्मा),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनॉकः **26.03.2026**</u>

(विकास कुमार वर्मा),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जलेसर, एटा